अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास भावना गर्ग (आर.ए.एस)

प्रेम बनाम काना वगै0

दावा अन्तर्गत धारा 188, 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नं. 20/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू भावना गर्ग (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता के. एल. मेवाडा व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू..... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिये जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....x.....मबलिक..... x .....बाबत्..... x .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक..... x ..... को अदा करें।

वसूलियाव तक ..... x ..... को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2019 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमी नर	—	—
फीस कमी नर	—	—	बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

बंटवारा प्रस्ताव देखें गये उभय पक्षान को कोई आपत्ति नहीं अतः प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं तथा कुल लगान रू. 0.78 का 15 गुणा रू. 11.07/– पर वाद पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार पारित की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान रू.
1	प्रेम पत्नि राजू जाति ढोली नि. कानपुरा तहसील नसीराबाद	2419/1	0.13	बारानी–3	
	कुल किता–1		**0.13**		**0.19**
2	काना, हेमा पि. रामा, चान्दा चत्नि जेठू, रसाली पुत्री जेठु कौम रेगर	**2419/2**	0.39	बरानी–3	
	कुल किता–4		**0.39**		**0.59**

तहसीलदार भिनाय यथा डिक्री अमल दरामद करावें।

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय